निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1935 (श0)

(सं0 पटना 761) पटना, मंगलवार, 1 अक्तूबर 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

06 सितम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(दर0)–16–02/2010/1073—सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–906/10 श्री विन्देश्वर यादव, कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 ग्रा0–हरिराहा जिला–मधुबनी बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में कोशी नहर प्रमण्डल, खुटौना के निविदा सं0–01/2009–10 के ग्रुप सं0–3 की निविदा में बरती गयी अनियमितता की जॉच मंत्रिमंडल निगरानी (त0 प0 को0) पटना द्वारा की गयी। निगरानी विभाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त नव निर्माण कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 ग्रा0–एकम्मा बसानया जिला–मधुबनी के वित्तीय बीड से संबंधित अभिलेखों में छेड़छाड़ करने एवं अनियमितता बरतने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए मो0 अशरफ हुसैन, कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खुटौना के विरूद्व विभागीय अधिसूचना सं0–982 दिनांक 30.6.10 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1521 दिनांक 7.10.10 द्वारा मो0 अशरफ हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल खुटौना (निलंबित) के विरूद्व नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में विभागीय जॉच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–499 दिनांक 29.4.13 द्वारा मो0 अशरफ हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल खुटौना को आरोपमुक्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया।

मो0 अशरफ हुसैन से निलंबन में बितायी गयी अवधि को कार्य पर बितायी गयी अवधि के समरूप मानते हुए वेतनादि के शेष राशि के भुगतान एवं निलंबन अवधि के विनियमितीकरण हेतु प्राप्त अनुरोध के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त निलंबन के पश्चात पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में कार्मिक कम्पेडियम–1 की कंडिका–11(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया हैः–

1. मो0 अशरफ हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व गठित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इनके निलंबन अवधि को कार्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए वेतनादि मद में पूर्व में की गयी भुगतान की राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान।

2. निलंबन में बितायी गयी अवधि को कार्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ किया जाना।

सरकार के उक्त निर्णय मो0 अशरफ हुसैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल खुटौना को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 761-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in